तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 167/2025 (2025/380) अनवान नैनाराम बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार झंवर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.03.2026	पत्रावली आज पेश हुई। कि ग्राम बेवटा पटवार क्षेत्र लूणावास खारा तहसील झंवर जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 247 रकबा 1.9344 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 253 रकबा 1.4569 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 276 रकबा 2.2096 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 294 रकबा 2.2905 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 298 रकबा 2.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 371 रकबा 1.0441 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 372 रकबा 1.6916 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 375 रकबा 1.6835 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 376 रकबा 1.4245 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 377 रकबा 0.1295 हैक्टेयर कुल खसरे–11 में कुल रकबा 17.4582 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। जो कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थी का 1/5 हिस्सा निहित है, जो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत 2077 से 2080 की खेवट खतौनी संख्या नई 27 व पुरानी 26 से स्पष्ट है। राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम बोलता नाम पुरखा दर्ज कर दिया गया, जबकि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम नैनाराम है। इसी प्रकार पूर्व में राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत 2053 से 2056 व 2057 से 2060 में प्रार्थी के पिताजी का नाम चुतराराम दर्ज किया हुआ था। लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा अगली जमाबन्दी बनाते समय राजस्व रेकर्ड में सहवन से प्रार्थी के पिताजी का नाम चुन्नाराम दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थी के पिताजी का सही एवं वास्तविक नाम चुतराराम है। प्रार्थी अनपढ ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है, जिसको राजस्व रेकर्ड में हुई अशुद्धि की जानकारी नही रही। अभी हाल ही में प्रार्थी अपनी खातेदारी की उपरोक्त कृषि भूमि में के. सी. सी. लेने के लिये हल्का पटवारी के पास गया और जमाबन्दी की नकल प्राप्त कर बैंक में गये तो वहां प्रार्थी द्वारा जमाबन्दी की नकल एवं अपने सारे पहचान सम्बन्धित दस्तावेज आदि बताये तो वहां के कर्मचारी ने ऋण देने से मना कर दिया और कहा कि जमाबन्दी में आपका नाम पुरखा व पिताजी का नाम चुन्नाराम लिखा हुआ है। जबकि आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक खाते इत्यादि समस्त सरकारी दस्तावेतों में आपका नाम नैनाराम तथा पिताजी का नाम चुतराराम लिखा हुआ है। उपरोक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम पुरखा के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम नैनाराम तथा प्रार्थी के पिताजी का नाम चुन्नाराम के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम चुतराराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार झंवर को जांच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार झंवर के पत्रांक/कोर्ट/2026/62 दिनांक 09.03.2026 के जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में बताया कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार खाता नं. 27 में वर्णित 11 खसरे कुल रकबा 17.4582 हैक्टेयर में खातेदरान करणा, पुरखा, पोलाराम, भीमाराम पुत्र चुन्नाराम तथा भगाराम, मोहनराम पुत्र बगताराम, राधा पुत्री बगताराम, मांगी देवी पत्नि बगताराम जाति पटेल के नाम दर्ज है। जो जरिये विरासत नामान्तरकरण संख्या 36 दिनांक 30.08.1970 को स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया जिसकी प्रमाणति प्रति सलंग्न है। राजस्व रिकार्ड में जमाबंदी संवत 2053 से 2056 व 2057 से 2060 में प्रार्थी के पिता का नाम	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

चुतराराम दर्ज किया हुआ था जो अगली जमाबंदी में त्रुटिवश चुन्नाराम हो गया। जिसकी प्रति सलंग्न है। इसकी प्रकार प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम केरला पटवार मण्डल डोली के खसरा संख्या 521 रकबा 2.9623 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम नैनाराम पुत्र चुतराराम के रूप में दर्ज है जो जरिये विरासत नामान्तरकरण संख्या 130 दिनांक 07.04.1970 को स्वीकृत राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जिसकी प्रति सलंग्न है। ग्राम के मौजिज लोगो के पुछताछ करने पर पाया गया कि नैनाराम पुत्र चुतराराम व पुरखा पुत्र चुन्नाराम एक ही व्यक्ति है तथा इनके अन्य सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक डायरी में नैनाराम पुत्र चुतराराम दर्ज है। प्रार्थी का अशुद्व नाम पुरखा पुत्र चुन्नाराम से नैनाराम पुत्र चुतराराम शुद्व करने की अनुशंषा की गई है।

उपरोक्त विवेचन तथा तहसीलदार झंवर की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाता है। कि ग्राम बेवटा पटवार क्षेत्र लूणावास खारा तहसील झंवर जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 247 रकबा 1.9344 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 253 रकबा 1.4569 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 276 रकबा 2.2096 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 294 रकबा 2.2905 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 298 रकबा 2.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 371 रकबा 1.0441 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 372 रकबा 1. 6916 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 375 रकबा 1.6835 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 376 रकबा 1.4245 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 377 रकबा 0.1295 हैक्टेयर कुल खसरे–11 में कुल रकबा 17.4582 हैक्टेयर प्रार्थी का अशुद्व नाम पुरखा पुत्र चुन्नाराम के स्थान पर नैनाराम पुत्र चुतराराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने आदेश दिये जाते है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हँसमुख कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
सहायक कलक्टर एवं अतिरिक्त अधिकारी,
लूणी